

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक / / 2025

विषय : डा० (श्रीमती) भारती सिन्हा, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त यक्ष्मा केन्द्र नवगछिया, भागलपुर के अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-8889(2)वि० दिनांक-24.12.1986 पत्रांक-1829(2)वि० दिनांक 07.04.2005 एव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के ज्ञाप संख्या-864(25), दिनांक-22.04.2025 के आलोक में डा० (श्रीमती) भारती सिन्हा, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त यक्ष्मा केन्द्र नवगछिया, भागलपुर को उनके अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

(2) डा० (श्रीमती) भारती सिन्हा का सेवानिवृत्ति की तिथि-31.01.2025 है।

(3) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-259 दिनांक-18.06.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि डा० (श्रीमती) भारती सिन्हा का दिनांक-01.02.2019 से 31.01.2025 तक उपार्जित अवकाश उपभोग नहीं किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

(4) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के सम्बन्ध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त डा० (श्रीमती) भारती सिन्हा, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त यक्ष्मा केन्द्र नवगछिया, भागलपुर के पक्ष में 300 (तीन सौ) दिन के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, भागलपुर के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(शैलेश कुमार)

ज्ञापांक-2/पेन-43/2025-

1413(2)

पटना, दिनांक 7/8/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकर (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/डा० (श्रीमती) भारती सिन्हा, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त यक्ष्मा केन्द्र, नवगछिया, भागलपुर पत्राचार का पता-मोहल्ला+पो०+थाना -कोरहा, जिला-कटिहार, पिन कोड-854108/प्रशाखा पदाधिकारी-03, 09 एव 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।